

परिपत्र

विषय: **जुलाई 2017 से सितम्बर 2017 तक की अवधि**
के लिए डी.ए. की तिमाही संशोधित प्रतिशत

In pursuance of Ministry's letters no. A-29018/5/2006-PEI dated 26th July, 2010, A-29018/5/2006-PEI dated 18/02/2011 and Memorandum of Settlement dated 19/01/2010 & 25/10/2013, the rate of Dearness Allowance payable to the Class I, II, III & IV employees from **जुलाई 2017 से सितम्बर 2017** based on the increase/decrease in AICPI quarterly index average of 126/198 to which the revised scales of pay are related, is given here below:

श्रेणी Class	अवधि Period		तैमासिक औसत प्वाइंट्स Three monthly average points	डी.ए. के लिए गणना किए जानेवाले प्वाइंट्सों की कुलसंख्या Total No. of points to be counted for D.A	100% न्यूट्रलाइजेशन डी.ए. की % % of D.A. on 100% neutralization
	From	To			
प्रथम व द्वितीय श्रेणी अधिकारी Class I & II Officers	01/07/2017	30/09/2017	277	151	119.84%
तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारि Class III & IV employees	01/07/2017	30/09/2017	277	79	39.90%

2. डी.ए. की उपरोक्त दरें पेन्शनरों/परिवार पेन्शनरों को एआईसीपीआई 126/198 पर लागू होंगी।
The above rates of D.A. are also applicable to pensioners/family pensioners on AICPI 126/198.
3. यह अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of the Chairman.

10/07/2017
वित्तिय सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी

सेवा में,

सभी विभागाध्यक्ष/ एमपीटी

प्रतिलिपि:-

- 1) अध्यक्ष के पटल हेतु
- 2) उपाध्यक्ष के पटल हेतु
- 3) आरएपी/एमपीटी
- 4) सहायक निदेशक (ईडीपी)/एमपीटी
- 5) सूचना पट्ट
- 6) सहायक प्रबंधक (ईडीपी) ... for website

शुक्र :- Meli

6/7/17